फ़ाइल संख्या 15(31)2020/फोस्कोस/आरसीडी /एफएसएसएआई बिंदु18-भाग(6) [ई-9214]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

(विनियामक अनुपालन प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

दिनांकः 18 फ़रवरी, 2025

विषय: एफबीओ द्वारा फॉर्म IX में नामिती विवरण का अनिवार्य अद्यतन और फोस्कोस में नॉन-फॉर्म सी संशोधनों के लिए स्वत: अनुमोदन प्रावधान के संबंध में

एफएसएसएआई के संज्ञान में आया है कि कई खाद्य व्यवसाय प्रचालक (एफ.बी.ओ.) लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार फॉर्म IX में नामांकित व्यक्ति के कंपनी बदलने या छोड़ने पर उससे संबंधित विवरण अपडेट नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण के पास लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में अद्यतन जानकारी का अभाव हो जाता है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.5.2 के अनुसार, "जब भी फॉर्म IX में नियम 2.5.1 में दिए गए नामांकन में कोई भी परिवर्तन हो, तो कंपनी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी सुचित करे|"

3. इसके अतिरिक्त, एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.1.9 (1) के अनुसार, यह कहा गया है कि *"खाद्य व्यवसाय प्रचालक यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास उनके खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों के बारे में हमेशा अद्यतन जानकारी हो और वे संबंधित प्राधिकारी को* ***उत्पाद श्रेणी, लेआउट, विस्तार, समापन, या किसी अन्य सामग्री से संबंधित विवरण, जिसके आधार पर लाइसेंस दिया गया था, में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्धन या परिवर्तन*** *के संबंध में सूचित करें और यह जानकारी उक्त बदलाव होने से पहले प्रदान की जाए।"* इसके अलावा, एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम 2011 के उप-विनियम 2.1.2 (5) में यह अधिदेशित है कि सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालक यह सुनिश्चित करें कि अनुसूची 2 अनुलग्नक 3 के अनुसार लाइसेंस **की सभी शर्तें** पूरी की जाएं और **शर्त संख्या 3 (अनुलग्नक 3) के अनुसार एफबीओ लाइसेंस से संबंधित गतिविधियो/विषय-वस्तु में किसी भी परिवर्तन या संशोधन के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करे।**

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एफबीओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे प्राधिकारियों को अपने खाद्य व्यवसाय के बारे में हमेशा सटीक और वर्तमान जानकारी प्रदान करें, जिसमें फॉर्म IX में दिए गए विवरण में कोई भी परिवर्तन शामिल है। यह दोहराया जाता है कि **प्राधिकरण को अद्यतन जानकारी प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के तहत दंड दिया जा सकता है।**

5. इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि **12 फरवरी 2025** से प्रभावी, खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली [फोस्कोस] में **नॉन-फॉर्म सी के विवरण** को संशोधित करने का प्रावधान उपलब्ध है, **जिसमें संबंधित प्राधिकरण की स्वीकृति/जांच की आवश्यकता के बिना फॉर्म IX के विवरण को संशोधित करना शामिल है। नॉन-फॉर्म सी** में यह संशोधन बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है।

6. यह सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालकों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए है।

(राकेश कुमार)
निदेशक (विनियामक अनुपालन प्रभाग)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

सेवा में,

1. सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालक
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, एफएसएसएआई के निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के प्रधान निजी सचिव
2. सीईओ, एफएसएसएआई के निजी सचिव
3. मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी - एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

फ़ाइल संख्या 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIPt.18-Part(6) [E-9214]

भरतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

(नियामक अनुपालन प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

दिनांक 18 फ़रवरी 2025

Subject: Mandatory update of Form IX Nominee details by FBOs & auto-approval provision for Non-Form C modifications in FoSCoS-reg.

It has come to the notice of FSSAI that many Food Business Operators (FBOs) are **not** updating the details of the Form IX nominee responsible for complying with the conditions of the license when the nominated person changes or leaves the company. As a result, the authority lacks up-to-date information on the person responsible for ensuring compliance with the license conditions.

2. In this regard, it is informed that as per Rule 2.5.2 of the Food Safety and Standards Rules, 2011, *"the Company shall also intimate to theLicensing Authority, as and when any change occurs in the nomination given in Rule 2.5.1 in Form IX."*

3. Additionally, as per sub-regulation 2.1.9 (1) of the FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, it is stated that *"Food Business Operators shall ensure that the Registering or Licensing Authority always has up-to-date information on their food business establishments and shall inform the relevant Authority of* ***any modifications or additions or changes in product category, layout, expansion, closure, or any other material information*** *based on which the license was granted and such information shall be conveyed before the changes occur."* Furthermore, sub- regulation 2.1.2 (5) of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 mandates that all Food Business Operator shall ensure that all **conditions of license** as in Annexure 3 of Form B in Schedule 2 are fulfilled and as per **Condition No. 3 [Annexure 3], FBO shall inform Authorities about any change or modifications in activities /content of license.**

4. In view of the above, FBOs are directed to ensure that the authorities always have accurate and current information regarding their food business, including any changes in the details provided in Form IX. It is reiterated that **failure to provide updated information to the authority attracts penalties as per Section 58** of the Food Safety and Standards Act, 2006.

5. Furthermore, it is informed that effective from **12th Feb 2025,** provision is available in the Food Safety Compliance System [FoSCoS] for modifying the details of **Non-Form C, including modifying Form IX details without requiring the approval/scrutiny of the concerned authority.** This Non-Form C modification can be carried out without fee.

6. This is for the strict compliance by all FBOs.

(राकेश कुमार)
निदेशक (नियामक अनुपालन प्रभाग)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

To,

1. All Food Business Operators
2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
3. Directors of all Regional Offices, FSSAI

Copy for information to:

1. PPS to Chairperson, FSSAI
2. PS to CEO, FSSAI
3. CTO - for uploading on FSSAI website